बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–15/2025(स्वा0)........................../ पटना, दिनांकः–....................

डा0 रामकृष्ण सिह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नुऑव, कैमूर, भभुआ के विरूद्ध सिविल सर्जन, कैमूर के पत्राक–919 दिनांक–01.04.2025 द्वारा श्री अमित कुमार मिश्रा, ग्राम–महिला, थाना–कुढनी जिला–कैमूर का एक ही जख्म का दिनांक–14.05.2024 को "सामान्य" एव दिनाक–14.06.2024 को "गम्भीर" प्रकृति का जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। डा0 सिंह द्वारा अपने पदीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं कर्त्तव्यहीनता के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i) के तहत तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि मे डा0 सिंह का मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलबन अवधि में डा0 सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. संदर्भित आरोपों की जॉच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः 9/आ0–02–15/2025(स्वा0)447(9)**/ पटना, दिनांकः–**14.05.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 रामकृष्ण सिह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नुऑव, कैमूर,(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आ0वश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 03, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/05/2025

सरकार के अवर सचिव।